

राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर

(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/केम्प कोर्ट) कैम्प.....सायिया.....

—: आदेश :-

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र एवं पटवारी सायिया व भू.अ.नि. सेवडी की रिपोर्ट तथा तहसीलदार कुम्भलगढ़/गढ़बोर की अनुशांषा के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम सायिया तहसील गढ़बोर व जिला राजसमन्द की जनाबन्दी सम्बन्ध 2069-72 में खाता संख्या 87 में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर रिकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं :-

क.सं.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है)
1	सायिया	87,02,11,	रामल पिता जमना / गुमान	रामा पिता जमना



उपखण्ड अधिकारी
पीठासीन अधिकारी लोक अदालत
निलय (एस.डी.ओ. कुम्भलगढ़)

क्रमांक :- 16/2019 प्र.प. धारा - 136

दिनांक :- 27/11/19

प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार कुम्भलगढ़/गढ़बोर को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवायें।
2. प्रार्थी श्री रामा पिता जमना को सूचनार्थ।
3. रक्षित पत्रावली।

उपखण्ड अधिकारी
पीठासीन अधिकारी लोक अदालत